


सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (Government of India : Ministry of Home Affairs)
हैदराबाद : Hyderabad- 500 052.

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of Multigraph Operator - Reg

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Multigraph Operator is enclosed herewith to upload the same in Academy Website under Recruitment Rules Column.

Encls : As above.

Signature valid
Digitally signed by K. MADHUKAR SHETTY
Date: 2018.07.03 18:32:33 IST
Reason: Approved 

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/13/2017/Estt/RRs/A-5/Multigraph Operator

Dated: 03/07/2018

Note: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment on promotion. The maximum age-limit for eligibility for deputation shall be fifty-two years on the date of receipt of application.

For Ex-Servicemen : Deputation/Re-employment :

The Armed Force personnel in the rank of Captain in the Army or Assistant Superintendent of Police or Deputy Superintendent of Police in a State due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed above for deputation shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereby they may be continued on re-employment.

Note : The maximum age-limit for eligibility of re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

	(12)	(13)
(A)	The Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-	Not Applicable
	(i) Director General, Central Reserve Police Force – Chairman	
	(ii) Additional Director General/ Inspector General of any Central Para Military Forces – Member	
	(iii) An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member	
	(iv) Deputy Inspector General of any Central Para Military Forces – Member	
(B)	The Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :-	
	(i) Director General, Central Reserve Police Force – Chairman	
	(ii) Additional Director General/ Inspector General of any Central Para Military Forces – Member	
	(iii) An officer not below the rank of Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member	
	(iv) Deputy Inspector General of any Central Para Military Forces – Member	

[F. No. M.V-1/2018-P/Cell/Estt. CRPF]

R. B. S. NEGI, Dy. Secy. (Pers-II)

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सा.का.नि. 169.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में मल्टीग्राफ ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (मल्टीग्राफ ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आरंभिक गठन— (i) इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर मल्टीग्राफ ऑपरेटर का पद धारण करने वाले कार्मिकों के बारे में यह समझा जायेगा कि उन्हें इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया गया है।

(ii) इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व अपनी-अपनी श्रेणी में ऊपर निर्दिष्ट कार्मिकों की नियमित निरंतर सेवा की परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति और पुष्टि की ज्येष्ठता की अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मल्टीग्राफ ऑपरेटर	02* (2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 2 (रु. 19900 -63,200)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी) टिप्पणी 1 - आयु -सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित कि गयी है।)	आवश्यक : - किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष ; किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या समकक्ष में डिप्लोमा ; और फोटो कॉपिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग और कम्पोजिंग कार्य में एक वर्ष का अनुभव। वांछनीय - कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती			

और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	<p>सीधी भर्ती द्वारा :</p> <p>टिप्पण — पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए पद रिक्त होने पर उसे केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है —</p> <p>(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1 (18000-56,900 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो ; और</p> <p>(ख) स्तंभ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।</p> <p>टिप्पण-1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह — ग विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उप निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद — अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद — सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी (श्रेणी -2 या श्रेणी -3), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद — सदस्य 	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/34/2017-पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2018

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multigraph Operator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Multigraph Operator) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Initial Constitution.**- (1) The personnel holding the post of Multigraph Operator immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above in the respective grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority-qualifying service of promotion and confirmation.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix** -The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman, the other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multigraph Operator.	02* (2018) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs. 19,900-63,200).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other	Whether age and	Period of
--------------------------------	-----------------------	-----------------	-----------

	qualifications required for direct recruits.	educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from the Candidates in India (and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p>	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 12th standard or equivalent from any recognised Board or University; Diploma in the Printing Technology from any recognised institution or equivalent; and one years' experience in the field of photocopying, printing, binding and composing work. <p>Desirable:</p> <p>Working knowledge of Computers.</p>	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is, its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>By direct recruitment:</p> <p>Note: Vacancy caused by incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government or State Governments,-</p> <p>(a)(i) holding analogous post on a regular basis in parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 1 of the pay matrix (Rs. 18000-56900) or equivalent, in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p> <p>Note 1: The period of deputation including period of deputation in</p>	Not applicable.	<p>Group 'C' Departmental Confirmation Committee (For considering confirmation) consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> Deputy Director, National Police Academy, Hyderabad – Chairperson; Assistant Director, National Police Academy, Hyderabad – Member; Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), National Police Academy, Hyderabad – Member. 	Not applicable.

<p>another <i>ex-cadre</i> post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.</p>			
---	--	--	--

[F. No. 23011/34/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 मई 2018

सा.का.नि. 170.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियमावली 2013 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग'), भर्ती (संशोधन) नियमावली 2018 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) उच्च श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियमावली 2013 (इसके बाद उस नियमावली के रूप में संदर्भित) में, उक्त नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे अर्थात्:-

"(2) पद संख्या, वर्गीकरण तथा पे- मैट्रिक्स में स्तर :- पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा पे- मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमावली में, अनुसूची में:-

(क) स्तंभ (4) में, स्तंभ शीर्षक तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित होंगे अर्थात्:-

पे-मैट्रिक्स में स्तर
(4)
स्तर 4 (25500-81100/-रु.)"

(ख) स्तंभ. (11) में, उप शीर्षक " निम्नानुसार पदोन्नति द्वारा" के अंतर्गत

(i) मद (i) में शब्दों, अंकों, अक्षरों "वेतन-बैंड -1 (5200-20200/- रु.) तथा 1900रु का ग्रेड वेतन" के लिए शब्दों, अंकों अक्षरों "पे मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200/- रु.)"को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) मद सं (ii) में शब्दों, अंकों, अक्षरों "वेतन-बैंड -1 (5200-20200/- रु.) तथा 1900 रु. का ग्रेड वेतन" के लिए शब्दों, अंकों, अक्षरों "पे मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200/- रु.) को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iii) नोट -2 को हटा दिया जाएगा।

(ग) स्तंभ (12) में, मद 1 में, शब्दों, अक्षरों 'अधीक्षण अभियंता (समन्वय)' के स्थान पर शब्दों, अक्षरों "उप महानिदेशक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।